न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, बरही, हजारीबाग

लैण्ड सिलिंग वाद सं0 – 02/17–18 **बद्री प्र0 मेहता**

–बनाम–

तुलेश्वरी देवी वगै0

तारीख	–: आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर :–	अभियुक्ति
	आवेदक बद्री प्रसाद मेहता पिता स्व0 बाबु महतो निवासी ग्राम रोमी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से लैण्ड सिलिंग एक्ट 1961 की धारा 16(3) के तहत आवेदन समर्पित किया है कि मौजा रोमी थाना नं0 52 थाना पदमा ओ0 पी0 जिला हजारीबाग अन्तर्गत खाता नं0 17 प्लौट नं0 78 रकबा 09 डी0 मधे 1.57 डी0 चौहदी उ0 रंजीत महतो द0 सुरेन्द्र प्र0 मेहता पू0 एन.एच. 33 राँची पटना रोड प0 नन्हक महतो। भूमि की बिक्री तुलेश्वरी देवी द्वारा विक्रय पत्र सं0 1444 दिनांक 14.07.2017 को मो0 अकरम अंसारी पिता सहादत मियाँ ग्राम ढ़ोढ़ी पो0 मनधनिया थाना मयूरहंड जिला चतरा को कर दिया गया जो न तो प्रश्नगत भूमि का संलग्न रैयत है और न ही सह रैयत है। जबकि आवेदक प्रश्नगत भूमि के संलग्न रैयत एवं सह रैयत दोनों है। इसलिए यह भूमि आवेदक को मिलनी चाहिए। आवेदक द्वारा विक्रय पत्र की राशि तथा अतिरिक्त 10 प्रतिशत की राशि चालान के माध्यम से सरकारी कोषागार में जमा की गई है। जिसके आलोक में वाद की कार्रवाई आरम्भ करते हुए पक्षकार को नोटिस निर्गत किया गया तथा अंचल अधिकारी पदमा से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई। अंचल अधिकारी पदमा के पत्रांक 88 दिनांक 20.03.2021 द्वारा जाँच प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित प्राप्त है जिसमें अंचल अधिकारी पदमा द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि भवदीय प्रासंगिक पत्र के आलोक में मौजा रोमी थाना नं0 52 खाता नं0 17 प्लॉट नं0 78 रकवा 0.09 ए0 मधे 1.57 डी0 भूमि का जाँच संबंधित राजस्व उप निरीक्षक द्वारा कराया गया। जिसमें प्रतिवेदित किया है कि मौजा रोमी थाना नं0 52 खाता नं0 17 प्लॉट नं0 78 रकवा 0.09 ए0 मधे 1.57 डी0 भूमि रैयती खाते की है। उक्त भूमि का खतियानी नेतल महतो वा परशादी महतो पिता नेहाल महतो चार हिस्सा एवं कारू महतो वो बुलाकी महतो पिता बाजु महतो के नाम से है। खतियानी रैयत के वंशज तुलेश्वरी देवी पति स्व0 चकलधर महतो से मो0 अकरम अंसारी पिता स्व0 सहादत मियां साकिन ढोढ़ी दिनांक 14.07.2017 को केवाला संख्या 1444 द्वारा खरीद किये है। तत्पश्चात् नियमानुसार दाखिल खारिज करवा कर रसीद कटाते चले आ रहे है। स्थानीय जाँच के दौरान पाया कि उक्त भूमि वर्तमान में परती है। जिसका चौहदी उत्तर रामजी महतो, दक्षिण सुरेन्द्र प्रसाद मेहता, पूर्व एन0 एच0 33 पश्चिम नन्हक महतो है। खतियान में भूमि किस्म खेत I है परन्तु वर्तमान में एन0 एच0 33 से सटा हुआ है। फलस्वरूप मकान (अवासीय) योग्य है। उक्त भूमि का चौहदी सहित फोटोग्राफी संलग्न है। पुनः इस कार्यालय के पत्रांक 48/रा0 दिनांक 02.03.2022 द्वारा अंचल अधिकारी पदमा से प्रश्नगत भूमि का जाँचोपरांत नक्शा सहित प्रतिवेदन की माँग की गई। अंचल अधिकारी के पत्रांक 111 दिनांक 11.03.2022 द्वारा जाँचोपरांत नक्शा प्रेषित किया गया है जिसमें प्रश्नगत भूमि की चौहदी उ0 बद्री महतो हिस्सेदार द0 खरीददार अकरम अंसारी पू0 रविन्द्र मेहता प0 परती	

(१०)

नाला दर्ज है।

उभय पक्षों द्वारा कारण पृच्छा दाखिल किया गया एवं दोनों पक्षों के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा बहस किया गया जहां प्रथम पक्ष द्वारा अपने को प्रश्नगत भूमि का संलग्न एवं सह हिस्सेदार बताया गया एवं द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष के आवेदन को खारिज करने का अनुरोध किया गया है क्योंकि आवेदक द्वारा इस न्यायालय में दिनांक 23.10.2017 को वाद दायर किया गया है, जबकि संलग्न केवाला दिनांक 14.07.2017 को निबंधित कराया गया है, जो अधिनियम में निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत नहीं है।

अतएव अंचल अधिकारी पदमा से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1961 की धारा 16 (3) (i) (Fixation of ceiling area and acquitsition of surplus land) में स्पष्ट दर्ज है कि – " When any transfer of land made after the commencement of this Act to any person other than a co-sharer or a raiyat of adjoining land, any co-sharer of the transferor or any raiyat holding land adjoining the land transferred, shall be entitled within **three months** of the date of registration of the document of transfer, to make an application before the collector in the prescribed manner for the transfer of the land to him on the terms and conditions contained in the said deed." चूँकि दायर वाद समय सीमा के अंतर्गत नहीं है अतः आवेदक के आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

25/3/22

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता
बरही, (हजारीबाग)

25/3/22

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता
बरही,(हजारीबाग)

ज्ञापांक ......187/२०..... *बरही, दिनांक* ....25/3..... */2022*

प्रतिलिपिः– अंचल अधिकारी, पदमा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु आदेश की प्रति प्रेषित।

25/3/22

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
बरही, हजारीबाग।

Digitally signed by AJAY BHAGAT
Date: 2023.02.08 14:59:14 +05:30
Location: 192.168.1.41